

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 12/2025/ सरफैसी

स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय वेस्टर्न एज आई, मेट्रो केश एवं कैरी के ऊपर बोरिवली ईस्ट, मुम्बई।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राकेश कुमार जोशी पुत्र श्री देवीलाल जोशी निवासी- 97, चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर राज. 313230
2. देवीलाल जोशी पुत्र श्री धुलचंद जोशी निवासी- 97, चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर राज. 313230
3. देवीलाल जोशी पुत्र श्री धुलचंद जोशी निवासी- 97, चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर राज. 313230
4. मनोज जोशी पुत्र श्री देवीलाल जोशी निवासी- 97, चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर राज. 313230
5. श्रीमती गोटी जोशी पत्नी श्री देवीलाल जोशी निवासी- 97, चारभुजा मंदिर के पास, ग्राम साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर राज. 313230
6. संजय जोशी पुत्र श्री शंकरलाल जोशी निवासी- श्रीनाथ कोलोनी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द राज. 313301
7. सुमित मालाकर पुत्र श्री समरजित कुमार निवासी- गाडरियावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर राज. 313230

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री रवि चितौडा अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 21.1.25

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 8,76,945/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (देवीलाल जोशी पुत्र श्री धुलचंद जोशी की सम्पत्ति जो पट्टा सं. 54997, बुक सं. 085, मिसल सं. 092, ग्राम पंचायत साकरोदा, पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर राज. पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं बांघा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप लगभग 780 वर्ग फीट है। चतुर्सीमा पूर्व में-लक्ष्मी जी का मकान, पश्चिम में- कृष्णा पत्नी बाबूलालजी का मकान,


जिला कलक्टर
उदयपुर

उत्तर में-रास्ता, दक्षिण में-रास्ता) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 31.05.2024 तक 8,80,720/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 8,76,945/-रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 31.05.2024 तक 8,80,720/- रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (श्री शांति लाल चौबीसा पुत्र श्री मदन लाल चौबीसा जाति ब्राहमण की सम्पत्ति जो भू-खण्ड सं.-3, एवं 4, ब्लॉक 3, रामेश्वरम घाम आवासीय कॉलोनी, नगर पालिका भीण्डर के पास, जिला उदयपुर राज. पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 2826 वर्ग फीट है। चतुर्सीमा पूर्व में-श्री ऋषभ जैन की आराजी भूमि, पश्चिम में- कॉलोनी का रास्ता, उत्तर में-श्री लाल चन्द का भू खण्ड, दक्षिण में- भगवती लाल जी चौबीसा की आराजी भूमि) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर